एस.आई. पारस कुमार एवं अन्य।

बनाम

एस.आई. राम चरण एवं अन्य।

12 अप्रैल 2004

{एस. राजेंद्र बाबू, रूमा पाल और बी.पी. सिंह, जे.जे.}

सेवा कानूनः

भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861-धारा 2 एवं 12:

पंजाब पुलिस नियम, 1934-नियम 13.2 ए, 13.8(2) एवं 13.3(1):

खेल में साहस और उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर बारी से पहले दी जाने वाली पदोन्नति - डीजीपी द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों द्वारा दी गई - अच्छे काम को प्रोत्साहित करने और पुरस्कृत करने के लिए राज्य द्वारा 'स्वयं रैंक और वेतन' (ओ.आर.पी.) योजना का प्रस्ताव - जैसा की निर्धारित हैः इस तरह का अनुदान पदोन्नति की अनुमति नहीं है क्योंकि यह नियमों के दायरे से परे है - इसलिए अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिकारातीत है, हालांकि इसे नियमित पदोन्नति के रूप में नहीं माना जा सकता, लेकिन धारा 12 की पालना में इसे उच्च रैंक के अनुदान के रूप में माना जा सकता है - इसलिए पदोन्नतियां इन

नियमों के अन्तर्गत नहीं आती, ओआरपी योजना के तहत दी जा सकती है- हालांकि, राजपत्रित पुलिस अधिकारी इस योजना के तहत नहीं आ सकते हैं क्योंकि ऐसे अधिकारियों को पदोन्नत करने की शक्ति स्थानीय सरकार के पास निहित है।

लंबी सेवा को देखते हुए, गैर-विद्यमान पदो पर पदोन्नति-जैसा की निर्धारित हैः जब तक पद सृजित न हो ऐसी पदोन्नति अनुमति योग्य नहीं है- हालाँकि, अधिकारी की लंबी सेवा को देखते हुए पदोन्नति बाधित न हो, सरकार ने नियुक्ति को नियमित करने का निर्देश दिया।

पंजाब के पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी परिपत्र और दिशानिर्देशों के अनुसार, आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दिखाए गए साहस या खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कांस्टेबल, इंस्पेक्टर और पुलिस उपाधीक्षक रैंक के पुलिस कर्मियों को आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति दी गई। दिशानिर्देश में यह उल्लेख किया गया था कि यद्यपि पंजाब पुलिस नियम, 1934 में तदर्थ पदोन्नति के लिए कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी यह आवश्यक था कि उन्हें तदर्थ आधार पर एक रैंक पदोन्नति दी जाए। आउट ऑफ टर्न प्रमोशन से असंतुष्ट प्रत्यर्थीयों ने उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की। कुछ अन्य पुलिस अधिकारी जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था उनकों मूल पद पर प्रत्यावर्तित करने का आदेश दिया गया। उन्होंने उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य रिट याचिकाएँ दायर कीं। एक कांस्टेबल (डॉग हैंडलर) को 18 साल की सेवा के बाद हेड कांस्टेबल (डॉग हैंडलर)

के रूप में पदोन्नत किया गया था। अधिकारियों ने उन्हें इस आधार पर प्रत्यावर्तित कर दिया था कि उनकी पदोन्नति आउट ऑफ टर्न थी। हाईकोर्ट ने रिट याचिकाओं का निपटारा करते हुए अधिकारियों को कार्य के आधार पर वरिष्ठता तैयार करने का निर्देश दिया। यह आदेश दिया कि किसी भी पुलिस अधिकारी को हेड कांस्टेबल के पद से नीचे प्रत्यावर्तित नहीं किया जाएगा। लेकिन, यदि वे पंजाब पुलिस नियम, 1934 के नियम 13.8(2) के तहत 10 प्रतिशत कोटा से अधिक पाए गए तो उन्हें हेड कांस्टेबल के पद से भी नीचे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है। कांस्टेबल (डॉग हैंडलर) के प्रत्यावर्तन आदेश के मामले में, उच्च न्यायालय ने माना कि उसकी पदोन्नति आउट ऑफ टर्न नहीं थी क्योंकि उसकी पदोन्नति में उससे वरिष्ठ किसी भी व्यक्ति को पदोन्नत नहीं किया गया था। इसलिए वर्तमान अपीलें है। मामलों की सुनवाई के दौरान इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, राज्य ने अपनी कार्रवाई को नियमित करने के लिए ''स्वयं रैंक और वेतन'' (ओआरपी) नीति का प्रस्ताव रखा।

अपीलों का निपटारा करते हुए न्यायालय,

निर्धारित किया कि 1. पदोन्नति केवल भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 2 के तहत की जा सकती है और पदोन्नति के लिए कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है। जब से पंजाब पुलिस नियम, 1934 पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत बनाए गए हैं, इसलिए पदोन्नति केवल संबंधित नियमों के

तहत स्थापित प्रक्रिया का पालन करके ही की जा सकती है। पुलिस अधिनियम की धारा 2 के दायरे से बाहर किसी भी प्रक्रिया द्वारा कोई पदोन्नति नहीं की जा सकती।

राम शरण बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक, अजमेर, एआईआर (1964) एस.सी. 1559 और राजस्थान राज्य बनाम राम शरण, एआईआर (1964) एससी 1361, संदर्भित।

2. वर्तमान मामले में चूंकि विवादित पदोन्नतियां पंजाब पुलिस नियम, 1934 के तहत नहीं की गई हैं और परिणामस्वरूप, वे पदोन्नतियां पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत अधिकारातीत हैं। यहां, डीजीपी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पता केवल पुलिस अधिनियम की धारा 12 से लगाया जा सकता है। धारा 2 के तहत शक्तियां प्रशासनिक या संगठनात्मक मामलों तक विस्तारित हैं और पदोन्नति का अधिकार डीजीपी के पास निहित नहीं है। योजना के अनुसार पुलिस अधिनियम में केवल राज्य सरकार को ही पदोन्नति संबंधी पहलुओं को निर्धारित करने का अधिकार है। इसलिए, डीजीपी द्वारा की गई विवादित पदोन्नति को पंजाब पुलिस के अध्याय 13 के तहत नियमित पदोन्नति के रूप में नहीं माना जा सकता है। मौजूदा मामले में की गई तदर्थ पदोन्नति केवल अलंकारिक प्रकृति की है।

3. यद्यपि डी.जी.पी. द्वारा नियमित पदोन्नति नहीं की जा सकी। वह निश्चित रूप से पुलिस अधिनियम की धारा 12 के तहत कुछ तरीके बना सकता है ताकि उन कुशल अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा सके जिन्होंने आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर उत्कृष्ट सेवा की या जिन्होंने विभाग के लिए ख्याति अर्जित की। वरिष्ठ अधिकारियों के लिए विशेष दर्जा देकर पुलिस बल की दक्षता में सुधार करने के लिए विवादित तदर्थ पदोन्नति को एक ऐसी विधि के रूप में माना जा सकता है। इसी प्रकार, पंजाब पुलिस नियम, नियम 13 ए के तहत, पुलिस बल के बेहतर कामकाज के हित में, एक अधीनस्थ (नामांकित) पुलिस अधिकारी को स्थानीय रैंक के रूप में अगली उच्च रैंक दी जा सकती है। अगली उच्च रैंक प्रदान करना आईजी/डीजीपी द्वारा पुलिस अधिनियम की धारा 12 शक्तियों का केवल एक प्रयोग है ताकि बल की दक्षता में सुधार किया जा सके या प्रशासनिक सुविधा के लिए। उसी समय पर इसको, पंजाब पुलिस रूल्स के चैप्टर 13 के तहत इसे नियमित प्रमोशन नहीं माना जा सकता।

4. इस मामले की विशेष परिस्थितियों में, हालांकि विवादित पदोन्नतियां नियमों के तहत पदोन्नति नहीं हैं, राज्य स्वयं रैंक और वेतन (ओआरपी) योजना का प्रस्ताव लेकर आया ताकि आउट ऑफ टर्न/तदर्थ पदोन्नित से निपटा जा सके। इसलिए, जिन अधिकारियों को नियम 13.8(2) की 10 प्रतिशत सीमा के भीतर पदोन्नत किया जाता है, उन्हें नियमित पदोन्नति दी जा सकती है और जो नियम

13.8(2) की 10 प्रतिशत सीमा से परे हैं, उन्हें (ओआरपी) पदोन्नति, जो प्रोत्साहित करने और मेधावी अधिकारियों के अच्छे काम को पुरस्कृत करने के लिए बनाई गई है, सरकारी खजाने पर अत्यधिक बोझ डाले बिना दी जा सकती है।

रिशाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, जे.टी. (1994) 2 एस.सी. 157 और जगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, जे.टी. (1996) 4 एससी 332, संदर्भित।

5. 'आउट ऑफ टर्न' या तदर्थ प्रमोशन अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए है और यह केवल अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा और पंजाब पुलिस नियमों के नियम 1.13 के तहत केवल इंस्पेक्टर की रैंक तक के 'नामांकित पुलिस अधिकारियों को दिया जाएगा। नियम 13.3 (1) के अनुसार, राजपत्रित अधिकारियों और गैर-राजपत्रित से राजपत्रित रैंक तक पदोन्नति करने की शक्ति राज्यपाल की सहमति से स्थानीय सरकार में निहित है। इसलिए, 'राजपत्रित पुलिस अधिकारी यानी उपाधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी ओआरपी योजना के तहत नहीं आ सकते हैं जो अनिवार्य रूप से पुलिस अधिनियम की धारा 12 के तहत शक्तियों का प्रयोग है। भविष्य में इसी तरह के विवादों से बचने के लिए, राज्य सरकार के लिए उचित नियम/नीतियां बनाना उचित होगा ताकि प्रशंसा के लिए पदोन्नति को सुव्यवस्थित किया जा सके।

6. हेड कांस्टेबल के पद पर एक कांस्टेबल (डॉग हैंडलर) की पदोन्नति के लिए संबंधित नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी ने लंबी सेवा की है, विभाग ने महसूस किया कि उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए, यहां तक कि इसे सक्षम करने वाले नियमों के अभाव में भी। सामान्य प्रक्रिया में जब उसे ऐसे पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता था जो अस्तित्व में ही नहीं था, तो उसके लिए यह उचित प्रक्रिया थी। सरकार को, यदि आवश्यक हो, तो प्रासंगिक नियमों में संशोधन करके या संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके, पदोन्नति की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से हेड कांस्टेबल (डॉग हैंडलर) का एक पद सृजित करना होता। जब तक ऐसी कवायद नहीं की जाती, उन्हें हेड कांस्टेबल (डॉग हैंडलर) के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तन के आदेश को बरकरार रखना चाहिए था। चूंकि वह वर्ष 1994 से पदोन्नत कैडर में हैं और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द कर दिया है, राज्य के मामलों में दखल दिए बिना सरकार को नियुक्ति नियमित करनें हेतु निर्देशित किया जाता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 2273/2004।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 19.5.98 से सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 403/1997

साथ

सी.ए. मानदंड 2274, 2276-2301/2004

कपिल सिब्बल, पी.पी. राव, तपश राय, वी.ए. मोहता, एच.एस. फूलका, राज कुमार गुप्ता, श्यो कुमार गुप्ता, ए.एन. बारडीयर, एस.सी. पाल, कंवलजीत कोचर, सोनल महाजन, बृज भूषण, हरिओम यदुवंशी, श्रीमती मोनिका गुसाई, सुमन बाला रस्तोगी, रणधीर सिंह जैन, डा. कृष्ण सिंह चैहान, राज सिंह राणा, वरीन्दर कुमार शर्मा, एस. श्रीनिवासन, नीरज कुमार जैन, जे.पी. ढांडा, राव रणजीत, राजीव शर्मा, आर.एस. शूरी, अनील क्षेत्रपाल, जी.जी. सिंह, देबाशिष मिश्रा एवं के.के. गुप्ता उपस्थित पक्षकारों की तरफ से।

इस न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

राजेंद्र बाबू, जे. आज्ञा अनुमत.

आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान दिखाए गए साहस या खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर कुछ पुलिस अधिकारियों को दी गई "आउट ऑफ टर्न" प्रमोशन की कानूनी वैधता इस तरह के मामलों में निर्णय के लिए सबसे महत्वपूर्ण मामला है।

आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रदर्शित साहस पर आधारित पदोन्नतिः

1. एसएलपी (सी) संख्या 17591 ऑफ 1998 - (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी संख्या 403/97 में अंतिम निर्णय से उत्पन्न)

चन्द्रपाल एवं अन्य बनाम राम चरण एवं अन्य।

इस मामले में कुल मिलाकर 14 याचिकाकर्ता हैं। इन सभी को 1976-1989 की अवधि के दौरान कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर बहादुरी दिखाने या खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और उन्हें मूल पद पर पदावनत कर दिया गया। उनकी रिट याचिकाओं का निपटारा उच्च न्यायालय द्वारा एकसमान आदेश 403/97 द्वारा किया गया। इस आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान एस.एल.पी. दायर की गई है।

2. एसएलपी (सी) नंबर 19246/1998। (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के 1997 के सीडब्ल्यूपी नंबर 403 में आने वाला अंतिम निर्णय के विरूद्ध)

नरिंदर सिंह और अन्य बनाम रामचरण

अपीलकर्ताओं को आतंकवाद विरोधी मोर्चे में दिखाई गई बहादुरी के आधार पर आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन मिला। मूल डब्ल्यू.पी. का निपटान 403/97 के साथ कर दिया गया था। इसे चुनौती देते हुए उक्त एस.एल.पी.

3.एसएलपी (सी) नंबर 15944/1998 - (सीडब्ल्यूपी नंबर 403/1997 में आने वाला पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय के विरूद्ध)

साधु राम और अन्य बनाम राम चरण और अन्य।

इस मामले में कुल मिलाकर 16 याचिकाकर्ता हैं। इन सभी को आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर गतिविधियों के दौरान उनकी बहादुरी और अनुकरणीय साहस के आधार पर एक रैंक आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। इसके बाद प्रतिवादियों ने इन याचिकाकर्ताओं को दी गई आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी। आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर उक्त एस.एल.पी.

4. एसएलपी (सी) संख्या 2083/1999 (अंतिम निर्णय दिनांक 19/5/98 के विरुद्ध)

रामेश्वर सिंह बनाम हरियाणा राज्य

याचिकाकर्ता को मूल रूप से एक कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था और उसे हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। बाद में उनकी बहादुरी के आधार पर उन्हें एएसआई के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद एक प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया गया और उसे कांस्टेबल के पद पर वापस कर दिया गया। इस प्रत्यावर्तन आदेश को चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने

403/97 में सामान्य आदेश द्वारा रिट का निस्तारण कर दिया। इसे चुनौती देते हुए हस्तगत एसएलपी दायर की गई।

5. एसएलपी (सी) नंबर 18492 ऑफ 2001। (एलपीए नंबर 1957 ऑफ 2001 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच द्वारा पारित अंतिम आदेश दिनांक 31/8/2002 बी के विरुद्ध)

प्रेम दास और अन्य बनाम बचन सिंह रंधावा और अन्य।

इस मामले में सभी याचिकाकर्ताओं को आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर उनकी सराहनीय सेवा के आधार पर ओआरपी आधार पर इंस्पेक्टर के रूप में आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया था। वे रिट-याचिका/अपील में पक्षकार नहीं थे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार, सरकार अपीलकर्ताओं को वापस करने के लिए कदम उठा रही है। ऐसी कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। याचिका और उसके बाद डी एलपीए दोनों को खारिज कर दिया गया। इसी से व्यथित होकर वर्तमान एस.एल.पी.

6. एसएलपी (सी) संख्या 14283, 1998. - पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी संख्या 403/1997 में दिनांक 19/05/1998 के अंतिम निर्णय से उत्पन्न)।

एसआई रमेश चंदर और अन्य बनाम एसआई राम चरण और अन्य।

अपीलकर्ताओं 1 से 6 को आतंकवाद विरोधी मोर्चे में उनके साहसी कार्य के आधार पर आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति दी गई। सीडब्ल्यूपी नंबर 403/1997 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले के बाद उन्हें बिना सुनवाई के भी निचली रैंक पर वापस कर दिया गया। वर्तमान एसएलपी उक्त प्रत्यावर्तन आदेशों को चुनौती देती है।

7. 1998 की एसएलपी (सी) संख्या 16514। सीडब्ल्यूपी संख्या 13023/1997 में दिनांक 19/05/98 के फैसले से उत्पन्न।

जहांगीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य

अपीलकर्ता को कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया। बाद में उन्हें एचसी और फिर एएसआई के रूप में पदोन्नत किया गया, उनकी पदोन्नति आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर गतिविधियों पर आधारित थी। प्रत्यावर्तन के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया था। बाद में प्रत्यावर्तन का आदेश पारित किया गया। फैसले से दुखी होकर उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इसलिए वर्तमान एस.एल.पी.

8. 1998 की एसएलपी (सी) संख्या 16102। (1997 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12536 में अंतिम निर्णय से उत्पन्न)

जिले सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

तीनों याचिकाकर्ताओं को मूल रूप से 1971-81 की अवधि के दौरान कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें हेड कांस्टेबल और एएसआईएस के रूप में पदोन्नत किया गया। यह बहादुरी के आधार पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन था, जो उन्होंने आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर दिखाया है। बाद में प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया गया जिसके तहत उन्हें कांस्टेबल के मूल पद पर वापस कर दिया गया। उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, हाईकोर्ट ने यह कहते हुए मामले का निपटारा कर दिया कि यदि वे 10 प्रतिशत कोटा से बाहर हैं, तो उन्हें हेड कांस्टेबल के पद से नीचे पदावनत किया जा सकता है। इससे व्यथित होकर वर्तमान एस.एल.पी.

9. 1999 की एसएलपी (सी) संख्या 2082 ख्सीडब्ल्यूपी 403/97 में सामान्य आदेश से उत्पन्न।

चंदर भान और अन्य बनाम राम चरण और अन्य।

याचिकाकर्ताओं को खेल में उनके प्रदर्शन या आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रदर्शित बहादुरी के आधार पर आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति मिली। बाद में कारण बताओ नोटिस जारी कर वापस कर दिया गया। उच्च न्यायालय में उनकी रिट का निपटान 403/97 में सामान्य आदेश द्वारा किया गया था। इससे वर्तमान व्यथित है एसएलपी.

विभिन्न खेलों में प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति

1. 1998 की एसएलपी (सी) संख्या 20840। (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की 1997 की सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 403 में आने वाला अंतिम निर्णय)

नरेश कुमार और अन्य बनाम राम चरण और अन्य।

याचिकाकर्ता नंबर-1 को आतंकवाद विरोधी अभियानों में साहस दिखाने के आधार पर पुलिस उप-निरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया है और याचिकाकर्ता नंबर 2 को खेल में प्रदर्शन के आधार पर हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया है। बाद में कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है जिसके बाद प्रत्यावर्तन आदेश दिया जाता है। इसे चुनौती देते हुए वर्तमान एस.एल.पी.

2. एसएलपी (सी) संख्या 15943, 1998 - (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूपी संख्या 403/1997 में अंतिम निर्णय से उत्पन्न)

अशोक कुमार और अन्य बनाम एसआई राम चरण और अन्य।

18 याचिकाकर्ता। इन सभी को मूल रूप से 1976-89 की अवधि के दौरान कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन सभी को विभिन्न खेल मदों में उनके प्रदर्शन के आधार पर हेड-कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इसके बाद प्रतिवादियों ने इन याचिकाकर्ताओं को दी गई आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका की अनुमति दी। आक्षेपित निर्णय से व्यथित होकर वर्तमान एस.एल.पी.

3.एसएलपी (सी) 7817-18/1999। (पंजाब और हरियाणा होई कोर्ट की सीडब्ल्यूपी 15548 और 15550/1997 से उत्पन्न)

अनूप सिंह और अन्य बनाम हरियाणा डी.जी.पी.,

अपीलकर्ताओं को मूल रूप से कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उनको हेड-कांस्टेबल और बाद में एएसआई के रूप में पदोन्नत किया गया। पदोन्नति खेल में उनके प्रदर्शन पर आधारित थी। बाद में उन्हें कारण बताओ नोटिस देकर मूल पद पर वापस कर दिया गया। अपीलकर्ताओं के मामले को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी संख्या 403/1997 में अंतिम निर्णय द्वारा 19/5/98 को अन्य मामलों के साथ निपटाया गया था।

4. 1999 की एसएलपी (सी) संख्या 2080/99 - (1997 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12536 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19/5/98 के फैसले से उत्पन्न, जिसे 403/97 के साथ निपटाया गया था)

बलजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

अपीलकर्ता को खेल में उसके प्रदर्शन के आधार पर हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति मिली। बाद में उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया और बाद में उन्हें कांस्टेबल के पद पर वापस भेज दिया गया। उन्होंने प्रत्यावर्तन आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। 403/97 में सामान्य आदेश से इसका निस्तारण किया गया। इसी से व्यथित होकर वर्तमान एस.एल.पी.

5. एसएलपी (सी) नंबर 17648/99 - (सीडब्ल्यूपी संख्या 8672/97 में समीक्षा आवेदन संख्या 292/97 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश दिनांक 19/12/97 से उत्पन्न)

श्री हरपाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य

याचिकाकर्ता मूल रूप से कांस्टेबल के पद पर नियुक्त था। खेल में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें हेड कांस्टेबल और बाद में एएसआई के रूप में पदोन्नत किया गया। उस पर प्रत्यावर्तन का आदेश तामील किया गया। उन्होंने प्रत्यावर्तन आदेश को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उनका मामला अन्य मामलों के साथ 403/97 में सामान्य आदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया। समीक्षा याचिका भी खारिज कर दी गई. इसलिए एस.एल.पी.

6. एसएलपी (सी) संख्या 15542, 1998। - (सीडब्ल्यूपी संख्या 13006/97 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक 25/05/1998 के अंतिम निर्णय से उत्पन्न)

शमशेर सिंह बनाम हरियाणा राज्य।

याचिकाकर्ता को हरियाणा में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत हुए। खेल के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के आधार पर उन्हें एएसआई के पद पर पदोन्नत किया गया। बाद में उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदावनत कर दिया गया। इस फैसले को हाई कोर्ट

में चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट होने के बाद उन्होंने तत्काल एसएलपी दायर की।

7. 1998 की एसएलपी (सी) संख्या 14694-95। (1997 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12827 और 1997 की 12829 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22/10/97 से उत्पन्न)

एचसी कृष्ण कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य।

खेलों में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के आधार पर अपीलकर्ताओं को हरियाणा में हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया था। उन्हें प्रत्यावर्तन का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रत्यावर्तन आदेश पारित किये गये। अपीलकर्ताओं ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष 1997 का सीडब्ल्यूपी नंबर 12827 और 1997 का 12829 दायर किया। उच्च न्यायालय ने प्रत्यावर्तन आदेश को इस निष्कर्ष के साथ रद्द कर दिया कि अपीलकर्ताओं को जारी किया गया कारण बताओ नोटिस प्राकृतिक न्याय की आवश्यकता का उचित अनुपालन नहीं करता है। साथ ही उच्च न्यायालय ने उत्तरदाताओं को नए कारण बताओ नोटिस जारी करने और अपीलकर्ताओं को वापस करने की स्वतंत्रता दी। इस निष्कर्ष से व्यथित होकर वर्तमान एस.एल.पी.

8. एसएलपी (सी) नंबर 14313 ऑफ 1998। - (1997 के सीडब्ल्यूपी नंबर 12536 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 19/05/1998 के फैसले से - इसे सीडब्ल्यूपी नंबर 403/97 के साथ निपटाया गया था)

कुलदीप सिंह और अन्य बनाम हरियाणा राज्य

छः याचिकाकर्ता। खेल के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट उपलब्धियों के आधार पर उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत हुए। कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और बाद में हेड कांस्टेबल के पद पर वापस भेज दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं की रिट 403/1997 में सामान्य आदेश के साथ निस्तारित की गई। उसी से व्यथित होकर तत्काल एस.एल.पी.।

9. एसएलपी (सी) संख्या 19245/1998 - (सीडब्ल्यूपी संख्या 13014/97 में पी एंड एच उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22/10/97 से उत्पन्न)

सलिंदर सिंह बनाम हरियाणा राज्य।

याचिकाकर्ता को मूल रूप से कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था, खेल में उसके प्रदर्शन के आधार पर उसे अगले उच्च पद पर पदोन्नत किया गया था। बाद में उन्हें वापसी के लिए कारण बताओ नोटिस दिया गया। प्रत्यावर्तन आदेश पारित किया गया। उन्होंने इस फैसले को उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका में चुनौती दी। हालाँकि उच्च न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय की

आवश्यकता के अभाव में फैसले को रद्द कर दिया, लेकिन राज्य को नए कारण बताओ नोटिस जारी करके निर्णय पर फिर से विचार करने की अनुमति दी। इसे चुनौती देते हुए वर्तमान एस.एल.पी.।

10. एसएलपी (सी) संख्या 20839, 1998। 1997 की सीडब्ल्यूपी संख्या 12703 में पी एंड एच उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 22/10/97 से उत्पन्न,।

सोहन सिंह बनाम हरियाणा राज्य

याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के पद पर नियुक्त किया गया था। बाद में खेल के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के आधार पर हेड कांस्टेबल के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया और बाद में उन्हें कांस्टेबल के पद पर वापस भेज दिया गया। उच्च न्यायालय के समक्ष उनकी रिट का उनकी प्रार्थना की अनुमति के बिना निपटारा कर दिया गया। इसे चुनौती देते हुए वर्तमान एस.एल.पी.।

11. 1998 की एसएलपी (सी) संख्या 15945-46। (पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय दिनांक 23.09.97 से उत्पन्न सीडब्ल्यूपी नंबर 8620/97 और ई 8632 ऑफ 1997 में जो सीडब्ल्यूपी नंबर 10129/1997 के साथ निपटाया गया था)

अशोक कुमार एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य।

इसमें 14 याचिकाकर्ता हैं। खेल के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के आधार पर इन सभी को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। राज्य ने बाद में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि पदोन्नतियां डीजीपी के किसी नियम या निर्देश के दायरे में नहीं थीं और बाद में उन्हें उलट दिया गया। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। उच्च न्यायालय ने इस कारण से याचिका को स्वीकार कर लिया, लेकिन याचिकाकर्ताओं को वापस लाने के लिए कानून के अनुसार नई कार्यवाही शुरू करने का अधिकार राज्य पर छोड़ दिया। एसएलपी दायर की गई।

वरिष्ठ पदों पर पदोन्नतिः

1. एसएलपी (सी) क्रमांक 18493-94/2001। (एलपीए संख्या 1957/2001 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 31/8/2001 से उत्पन्न)

नरिंदर पाल सिंह और अन्य बनाम बचन सिंह रंधावा और अन्य।

याचिकाकर्ता एसपीएस और डीवाईएसपी हैं। उन्हें आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर उनकी असाधारण बहादुरी और साहसी कृत्यों के आधार पर संबंधित वर्तमान रैंकों में ओआरपी आधार पर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला। प्रतिवादी ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूपी संख्या 1386/96 दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह कहते हुए रिट का निपटारा कर दिया कि ओआरपी रैंक

का निर्माण और अनुदान पंजाब पुलिस बल पर लागू नियमों के अनुरूप नहीं है। डिवीजन बेंच (संख्या 1957/2001 और 1959/2001) के समक्ष अपील की गई। उसे भी बर्खास्त कर दिया गया. इससे व्यथित होकर वर्तमान एस.एल.पी.

2. एसएलपी (सी) संख्या 18497/2001 - (एलपीए संख्या 1957/2001 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय दिनांक 31/8/2001 से उत्पन्न)

नगिंदर सिंह राणा और अन्य बनाम बचन सिंह रंधावा और अन्य।

सभी याचिकाकर्ताओं को ओआरपी आधार पर डीवाईएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। इस मामले में प्रतिवादी ने ओआरपी आधार पर पदोन्नति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। विद्वान एकल न्यायाधीश और उसके बाद डिवीजन बेंच की राय थी कि ओआरपी पदोन्नति प्रासंगिक नियमों के दायरे से बाहर है। इससे व्यथित होकर वर्तमान एस.एल.पी.

वर्तमान कार्यवाही की पृष्ठभूमि इस प्रकार हैः

पंजाब, हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में पुलिस बल पंजाब पुलिस नियम, 1934 के अंतर्गत आते हैं। 11/11/1982 को हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने एक परिपत्र जारी कर कहा कि राष्ट्रीय टीम के लिए चुने गए पुलिस कर्मियों को पदोन्नति के लिए विशेष विचार का हकदार। 09/09/1993 को पंजाब के डीजीपी ने आतंकवाद विरोधी अभियानों पर अनुकरणीय साहस और बहादुरी

दिखाने वाले पुलिस कर्मियों को एक रैंक पदोन्नति देने के लिए दिशानिर्देश और मानदंड जारी किए। उक्त दिशानिर्देश में यह भी उल्लेख किया गया है कि हालांकि पंजाब पुलिस नियम, 1934 (पुलिस नियम) में तदर्थ पदोन्नति के लिए कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि उन्हें तदर्थ आधार पर एक रैंक पदोन्नति दी जा सके। इन परिपत्रों या दिशानिर्देशों के आधार पर कुछ पुलिस अधिकारियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। लेकिन, आरोप है कि कई अन्य पुलिस अधिकारियों को भी बिना कोई कारण बताये ऐसे प्रमोशन दिये गये।

आउट ऑफ टर्न प्रमोशन योजना को चुनौती देते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष कई मामले दायर किए गए थे। प्रतिवादियों ने यहां अपीलकर्ताओं और कुछ अन्य को दी गई आउट ऑफ टर्न प्रमोशन को उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी। उन्होंने राज्य को पुलिस नियमों के नियम 13(1) के तहत दिए गए मानदंडों के विपरीत कोई भी पदोन्नति करने से रोकने और परिणामी रिक्तियों को भरने की निर्धारित प्रक्रिया भी उक्त नियमावली के नियम 13 के अंतर्गत बताई गई है। जबकि, अपीलकर्ताओं ने कहा कि उन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन या तो आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन में दिखाई गई बहादुरी या खेल में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर मिला है। दिनांक 19/5/98 के एक सामान्य आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने सभी मामलों का निपटारा कर दिया।

निर्णय का प्रासंगिक भाग दिनांक 19/5/98 में सीडब्ल्यूपी संख्या 403/1997 के यहां से निकाला गया हैः

"यह उपयुक्त होगा यदि सभी हेड कांस्टेबलों (सूची सी-1 और सूची सी-2 दोनों को मिलाकर) के उत्तरदाताओं द्वारा एक कामकाजी वरिष्ठता तैयार की जाए और फिर देखा जाए कि क्या रिट याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ कोई हेड कांस्टेबल अभी भी काम कर रहा है। सहायक उप-निरीक्षक। यदि ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति जो ऐसे एएसआई से वरिष्ठ है, उसे तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे एएसआई को रैंक बनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाती है। उत्तरदाताओं के वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता जो भी 10 प्रतिशत कोटा के भीतर हैं सूची सी-2 के छात्रों को उनकी बारी में इंटरमीडिएट स्कूल पाठ्यक्रम में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।

इन रिट याचिकाओं में प्रत्यावर्तन आदेशों को इस हद तक रद्द कर दिया गया है कि फिलहाल किसी भी याचिकाकर्ता को हेड कांस्टेबल के पद से नीचे नहीं भेजा जाएगा। हालाँकि, यदि याचिकाकर्ता नियमों के नियम 13.8(2) के तहत 10 प्रतिशत कोटा से अधिक पाए जाते हैं, तो उन्हें हेड कांस्टेबल के पद से भी नीचे वापस किया जा सकता है। यदि हेड कांस्टेबलों की कार्यशील

वरिष्ठता बनाने के बाद (जैसा कि ऊपर देखा गया है) यह पाया जाता है कि कोई हेड कांस्टेबल जो हेड कांस्टेबल के रूप में याचिकाकर्ताओं से कनिष्ठ है, अभी भी एएसआई के रूप में काम कर रहा है, भले ही तदर्थ आधार पर, तो ऐसे वरिष्ठ हेड कांस्टेबल के लिए अर्हता प्राप्त करें एएसआई के पद से प्रत्यावर्तन आदेश को रद्द कर दिया गया माना जाएगा, जिसका अर्थ है कि प्रत्यावर्तन आदेश कभी पारित नहीं किया गया था और ऐसे व्यक्ति को तब तक कार्यवाहक आधार पर भी एएसआई के रूप में बने रहने की अनुमति दी जाएगी जब तक कि उसके कनिष्ठ को एएसआई के रूप में जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाती है।"

यह निर्णय हमारे सामने विवादित है।

यह इन अपीलकर्ताओं का निश्चित मामला है कि रिट का निपटारा करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उनके मामले पर चर्चा नहीं की गई, चूंकि उन्हें बहादुरी और प्रदर्शन के आधार पर पदोन्नति मिली थी, इसलिए उनका मामला अलग है। आतंकवाद विरोधी गतिविधियों पर अनुकरणीय साहस या खेलों-खेलकूद में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर इस तरह की पदोन्नति पूरी तरह से नियमित पदोन्नति के साथ तुलना करने पर अलग पायदान पर खड़ा करती है यह उनके बेहतर कार्य की मान्यता/पुरस्कार के रूप में मिला। महानिदेशक द्वारा दिनांक

9/9/1993 को जारी उपरोक्त दिशानिर्देश में विशेष रूप से निर्देशित किया गया है कि आतंकवादी गतिविधियों से निपटने में पुलिस अधिकारियों द्वारा बहादुरी और अनुकरणीय साहस दिखाने के लिए की गई पदोन्नति पुलिस नियमों के अतिरिक्त होगीय उच्च न्यायालय में संपर्क करने में उत्तरदाताओं की ओर से अत्यधिक देरी के कारण रिट को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए था। पी.एस. सदाशिवस्वामी बनाम तमिलनाडु राज्य, 1975, 2 एससीआर 356 रू 1975, 1 एससीसी 152 के आदेश के अनुसार, एक व्यक्ति जो किसी कनिष्ठ की पदोन्नति से व्यथित है, उसे छह महीने के भीतर या अधिकतम एक वर्ष के भीतर ऐसे पदोन्नति आदेश को चुनौती देनी होगी। इसलिए यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय का निर्णय उलटने योग्य है।

कुछ अन्य पुलिस अधिकारी जिन्हें आउट ऑफ टर्न प्रमोशन मिला था, उन्हें मूल पद पर वापस करने का आदेश दिया गया। उन्होंने संबंधित प्रत्यावर्तन आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष अन्य रिट याचिकाएँ दायर कीं। निर्णय से असंतुष्ट, उन मामलों में याचिकाकर्ताओं ने भी इस न्यायालय के समक्ष अपील करना पसंद किया। कुछ अधिकारियों को डीएसपी/एसपी जैसे उच्च रैंक पर दिए गए आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की वैधता अन्य जुड़े मामलों में तय की जानी है। त्वरित अपील में इन सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया।

नतीजतन, विचारणीय प्रश्न यह है कि - क्या पुलिस महानिदेशक द्वारा 'आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर साहस या खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन' के आधार पर आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति पंजाब पुलिस नियम, 1934 के प्रारूप के तहत स्वीकार्य है?

पंजाब पुलिस नियम भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 (पुलिस अधिनियम) की धारा 2 के तहत बनाए गए थे। विस्तृत पंजाब पुलिस नियम पुलिस प्रशासन के सभी पहलुओं को कवर करते हैं। यह समय की कसौटी पर खरा उतरा है और इसमें कई संशोधन और संशोधन हुए हैं। फिर भी, नियमों की मूल संरचना नहीं बदली है। यह उल्लेख करना उचित होगा कि पंजाब पुलिस नियम अभी भी भारत के छह राज्यों और यहां तक कि पाकिस्तान के कुछ प्रांतों में भी लागू हैं। सबसे पहले यह स्पष्ट करना होगा कि पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत पुलिस का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें राज्य सरकार द्वारा तय की जानी हैं। (आम तौर पर राम शरण बनाम पुलिस उप महानिरीक्षक, अजमेर, एआईआर (1964) एससी 1559 और राजस्थान राज्य बनाम राम शरण, एआईआर (1964) एससी 1361 में इस न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले को देखें)। पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार और पदोन्नति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया सेवा की शर्त है। पदोन्नति केवल पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत की जा सकती

है और पदोन्नति के लिए कोई अन्य प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकती है। चूंकि पंजाब पुलिस नियम पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत बनाए गए हैं,

संबंधित नियमों के तहत स्थापित प्रक्रिया का पालन करके ही पदोन्नति की जा सकती है। पुलिस अधिनियम की धारा 2 के दायरे से बाहर किसी भी प्रक्रिया द्वारा कोई पदोन्नति नहीं की जा सकती। इसलिए कवायद यह देखने की है कि क्या विवादित पदोन्नतियां पंजाब पुलिस नियमों का पालन करते हुए की गई हैं, जो पुलिस अधिनियम की धारा 2 के तहत बनाई गई हैं।

माना गया है कि, यहां तक कि डीजीपी द्वारा जारी ज्ञापन में भी, जिसमें विवादित तदर्थ पदोन्नति का विवरण दिया गया था, यह स्पष्ट किया गया था कि यह पंजाब पुलिस नियमों के प्रावधानों पर आधारित नहीं था। मौजूदा मामले में चूंकि विवादित पदोन्नतियां पंजाब पुलिस नियमों के तहत नहीं की गई हैं और परिणामस्वरूप, वे पदोन्नतियां पुलिस अधिनियम की धारा 2 के दायरे से बाहर हैं। यहां, डीजीपी द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का पता केवल पुलिस अधिनियम की धारा 12 से लगाया जा सकता है। धारा 12 के तहत शक्तियां प्रशासनिक या संगठनात्मक मामलों तक विस्तारित हैं और पदोन्नति का अधिकार डीजीपी के पास निहित नहीं है। पुलिस अधिनियम की योजना के अनुसार केवल राज्य सरकार को पदोन्नति संबंधी पहलुओं को निर्धारित करने का अधिकार है। इसलिए, डीजीपी द्वारा की गई विवादित पदोन्नति को पंजाब पुलिस नियमों के डी अध्याय 13 के

तहत नियमित पदोन्नति के रूप में नहीं माना जा सकता है। मौजूदा मामले में की गई तदर्थ पदोन्नति केवल सजावटी प्रकृति की है।

हालांकि डीजीपी द्वारा नियमित पदोन्नति नहीं की जा सकती है, लेकिन वह निश्चित रूप से पुलिस अधिनियम की धारा 12 के तहत कुछ तरीके बना सकते हैं ताकि उन कुशल अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जा सके जिन्होंने आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर महत्वपूर्ण सेवा की थी या जिन्होंने विभाग के लिए ख्याति अर्जित की थी। मेधावी अधिकारियों के लिए विशेष दर्जा देकर पुलिस बल की दक्षता में सुधार करने के लिए विवादित तदर्थ पदोन्नति को एक ऐसी विधि के रूप में माना जा सकता है। इसी प्रकार पंजाब पुलिस नियम, नियम 13.2 ए के तहत, एफ बल के बेहतर कामकाज के हित में, एक अधीनस्थ (नामांकित) पुलिस अधिकारी को स्थानीय रैंक के रूप में अगला उच्च रैंक दिया जा सकता है। अगली उच्च रैंक प्रदान करना आईजी/ डीजीपी द्वारा पुलिस अधिनियम की धारा 12 शक्तियों का केवल एक प्रयोग है ताकि बल की दक्षता में सुधार किया जा सके या प्रशासनिक सुविधा के लिए। वहीं, पंजाब पुलिस रूल्स के चैप्टर 13 के तहत इसे नियमित प्रमोशन नहीं माना जा सकता।

किसी भी तरह, हरियाणा और पंजाब राज्यों में पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी पूर्वोक्त परिपत्र/दिशानिर्देशों के अनुसार, कुछ अधिकारियों को तदर्थ आधार

पर आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति दी गई थी। 6 दिसंबर, 2000 को इन मामलों की सुनवाई करते हुए इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया

> ''कुछ समय तक पार्टियों के वकील को सुनने के बाद, यह सुझाव दिया गया कि सरकार के लिए यह उचित होगा कि वह आउट-ऑफ-टर्न प्रमोशन के मामले में अपनी कार्रवाई को नियमित करने की व्यवहार्यता का पता लगाए। कुछ याचिकाकर्ताओं ने आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर बहादुरी और साहसपूर्ण कार्य दिखाने के लिए उनके अनुकरणीय कार्य के लिए हमारे समक्ष आवेदन किया है।"

इस आदेश के अनुसरण में, उचित विचार-विमर्श के बाद राज्य ने ''स्वयं रैंक और वेतन'' नीति (ओआरपी) का प्रस्ताव रखा। इस न्यायालय के समक्ष राज्य की ओर से प्रस्तुत हलफनामे का प्रासंगिक भाग जिसमें ओआरपी नीति को इस प्रकार समझाया गया है

> ''मामले के पक्ष और विपक्ष की जांच करने के बाद, अब यह निर्णय लिया गया है कि पी.पी.आर. 13.8 के तहत 10 प्रतिशत के निर्धारित कोटा के भीतर पदोन्नत कांस्टेबलों को सीडब्ल्यूपी में माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार नियमित पदोन्नति दी जा सकती है। 1997 का नंबर

14844 जिसका शीर्षक लछमन सिंह बनाम हरियाणा राज्य है। वे हेड कांस्टेबल जिन्हें तदर्थ आधार पर पदोन्नत किया गया है और पीपीआर के नियम 13.8 के तहत निर्धारित 10 प्रतिशत कोटा पर अतिरिक्त हैं और एएसआईएस, एसएलएस और इंस्पेक्टर जिन्हें तदर्थ दिया गया है आउट-ऑफ-टर्न पदोन्नति उनके मूल रैंक और वेतन के विरुद्ध उनके वर्तमान रैंक के बैज पहनना जारी रखेगी। इसे 'उनके स्वयं रैंक और वेतन' में पदोन्नति के रूप में जाना जाएगा। एक व्यक्ति जिसे अपने स्वयं के रैंक में पदोन्नत किया गया है और सभी इरादों के लिए भुगतान करता है और उद्देश्यों को उसके मूल रैंक के एक अधिकारी के रूप में माना जाएगा और पदोन्नति के नियमित चैनल में उच्च रैंक के किसी भी मूल पद का उपभोग या समाप्ति नहीं करेगा..... हालांकि, उपरोक्त श्रेणी (ए) में आने वाले अधिकारियों के संबंध में वित्तीय कठिनाई से बचने के लिए, ऐसे अधिकारियों का वेतन मूल रैंक और 1-12-99 को मौजूदा वेतन के अंतर के अनुसार तय किया जाएगा और उनके मूल वेतन को उनके व्यक्तिगत वेतन के रूप में समायोजित किया जाएगा... वे अपनी बारी और वरिष्ठता के अनुसार एचसीएस, एएसआईएस, एसआईएस

और इंस्पेक्टरों के रूप में नियमित पदोन्नति प्राप्त करेंगे, बशर्ते कि वे स्वयं प्रमोशनल कोर्स पास कर लें

इस न्यायालय के पास रिशाल सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य के मामले में नियम 13.8(2) के अनुसार एक पुलिस अधिकारी की पदोन्नति की वैधता पर गौर करने का अवसर था। जे.टी. (1994) 2 एससी 157। यहां यह माना गया कि एक पदोन्नति नियम 13.8(2) में दिए गए 10 प्रतिशत कोटा के भीतर इसे केवल नियमित माना जा सकता है, तदर्थ/अस्थायी पदोन्नति के रूप में नहीं। यह भी माना जाता है कि जिस भाषा में नियुक्ति आदेश दिया गया है वह अप्रासंगिक है और ऐसी पदोन्नति कभी भी तदर्थ /अस्थायी नहीं हो सकती। जुगबीर सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, जे.टी. (1996) 4 एससी 332 में इस दृष्टिकोण का फिर से पालन किया गया। इस मामले की विशेष परिस्थितियों में, हालांकि विवादित पदोन्नति नियमों के तहत पदोन्नति नहीं है, राज्य एक साथ आया। ओआरपी योजना का प्रस्ताव ताकि आउट ऑफ टर्न/तदर्थ पदोन्नतियों से निपटा जा सके। इसलिए, हमारा यह मानना है कि जिन अधिकारियों को नियम 13.8(2) की 10 प्रतिशत सीमा के भीतर पदोन्नत किया जाता है, उन्हें नियमित पदोन्नति दी जा सकती है और जो नियम 13.8(2) की 10 प्रतिशत सीमा से परे हैं, उन्हें ओआरपी पदोन्नति दी जा सकती है, जिसे डिजाइन किया गया है सरकारी

खजाने पर अत्यधिक बोझ डाले बिना मेधावी अधिकारियों के अच्छे काम को प्रोत्साहित करें और पुरस्कृत करें।

केस को अलग करने से पहले यह स्पष्ट करना होगा कि आउट ऑफ टर्न या एडहॉक प्रमोशन अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए है और पंजाब पुलिस नियमों के नियम 1.13 के तहत केवल नामांकित पुलिस अधिकारियों को इंस्पेक्टर के पद तक दिया जाएगा। नियम 13.3(1) के अनुसार राजपत्रित अधिकारियों को अराजपत्रित से राजपत्रित में पदोन्नति करने की शक्ति राज्यपाल की सहमति से स्थानीय सरकार के पास निहित है। इसलिए, राजपत्रित पुलिस अधिकारी यानी उपाधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी ओआरपी योजना के तहत नहीं आ सकते हैं, जो अनिवार्य रूप से पुलिस अधिनियम की धारा 12 के तहत शक्तियों का प्रयोग है। भविष्य में इसी तरह के विवादों से बचने के लिए, राज्य सरकार के लिए उचित नियम/नीतियां बनाना उचित होगा ताकि प्रोत्साहान के लिए पदोन्नति को सुव्यवस्थित किया जा सके।

अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाएगा।

1998 की एसएलपी (सी) संख्या 16829। (पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3.12.97 से उत्पन्न सीडब्ल्यूपी 8460/97 में)

हरियाणा राज्य बनाम दयाल चंद

प्रतिवादी ने 1970 और 1975 के बीच भारतीय सेना में सेवा की। 30 सितंबर, 1976 को उन्हें कुत्तों के दस्ते में एक कांस्टेबल (डॉग हैंडलर) के रूप में भर्ती किया गया था। 18 साल बाद उन्हें हेड कांस्टेबल (डॉग एफ हैंडलर) के रूप में पदोन्नत किया गया। अधिकारियों ने उन्हें यह कहते हुए प्रत्यावर्तन आदेश दिया कि उन्हें 'आउट ऑफ टर्न पदोन्नत किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा कि विभाग ने इस प्रतिवादी को पदोन्नत करते समय उससे वरिष्ठ किसी भी व्यक्ति की उपेक्षा नहीं की, और प्रत्यावर्तन को रद्द कर दिया। राज्य ने विशेष अनुमति द्वारा वर्तमान अपील दायर की है।

हेड कांस्टेबल के पद पर कांस्टेबल जी (डॉग हैंडलर) की पदोन्नति के लिए संबंधित नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी ने लंबी सेवा की है, विभाग ने महसूस किया कि उसे हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाना चाहिए, यहां तक कि इसे सक्षम करने वाले नियमों के अभाव में भी। सामान्य स्थिति में जब उन्हें किसी पद पर पदोन्नत नहीं किया जा सकता था। जो अस्तित्व में नहीं था, सरकार के लिए उचित कदम यह होता कि, हेड कांस्टेबल (डॉग हैंडलर) का एक पद सृजित करे यदि आवश्यक हो तो संबंधित नियमों में संशोधन करके या संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करके उसे पदोन्नत किए जाने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से किया जाए। जब तक ऐसी कवायद नहीं की जाती, उन्हें हेड कांस्टेबल

(डॉग हैंडलर) के पद पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए उच्च न्यायालय को प्रत्यावर्तन के आदेश को बरकरार रखना चाहिए था।

अब जब वह वर्ष 1994 से पदोन्नत कैडर में हैं और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के प्रत्यावर्तन के आदेश को रद्द कर दिया है, तो हमें नहीं लगता कि हमें उस स्थिति को बिगाड़ना चाहिए, लेकिन सरकार को हमारे द्वारा बताए गए निर्देशानुसार नियुक्ति को नियमित करने का निर्देश देना चाहिए। इस आदेश के क्रम में.

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

के.के.टी. अपीलें निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री किशोर कुमार तालेपा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।